

(Part I — Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eleven of the Clock

Thursday, February 13, 2025 / Magha 24, 1946 (Saka)

HON'BLE SPEAKER Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Jagdambika Pal

Shri P. C. Mohan

Shrimati Sandhya Ray

Shri Dilip Saikia

Kumari Selja

Shri Raja A.

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Krishna Prasad Tenneti

Shri Awadhesh Prasad

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Thursday, February 13, 2025 / Magha 24, 1946 (Saka)

CONTENTS	<u>PAGES</u>
ORAL ANSWER TO STARRED QUESTION (S.Q. NO. 121)	1 – 30
WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 122 – 140)	31 – 50
WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS (U.S.Q. NO. 1381 – 1610)	51 – 280



(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Thursday, February 13, 2025 / Magha 24, 1946 (Saka)

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS Thursday, February 13, 2025 / Magha 24, 1946 (Saka)

<u>C ON T E N T S</u>	<u>PAGES</u>
RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION	281
PAPERS LAID ON THE TABLE	281 - 96 & 298 & 302
JOINT COMMITTEE ON THE WAQF (AMENDMENT) BILL Report	297
BILL INTRODUCED Income – Tax Bill	298 - 300
MOTION RE: REFERENCE OF INCOME-TAX BILL TO SELECT COMMITTEE	301
JOINT COMMITTEE ON THE WAQF (AMENDMENT) BILL Record of Evidence	302
STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 123 RD AND 130 TH REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND FAMILY WELFARE – LAID Shri Prataprao Ganpatrao Jadhav	302
MATTERS UNDER RULE 377 – LAID	303 - 14
Shri Suresh Kumar Kashyap	303
Shri Darshan Singh Choudhary	303
Shri Mukesh Rajput	304
Shri Dilip Saikia	304
Shrimati Mahima Kumari Mewar	304
Shri Manoj Tiwari	305

Shrimati D. K. Aruna	305
Shri Bidyut Baran Mahato	306
Shri Hamdullah Sayeed	306
Shri Benny Behanan	307
Shri B. Manickam Tagore	307
Dr. Amar Singh	308
Dr. Shashi Tharoor	308
Shrimati Krishna Devi Shivshankar F	Patel 309
Shri Harendra Singh Malik	309
Shrimati June Maliah	310
Dr. T Sumathy alias Thamizhachi Tha	angapandian 311
Dr. Kalanidhi Veeraswamy	312
Shri Appalanaidu Kalisetti	313
Shri Dinesh Chandra Yadav	313
Shri Sudhakar Singh	314
Shri Chandan Chauhan	314
Shri Hanuman Beniwal	314
OBSERVATION RE: TRANSACTION OF B	USINESS IN THE 315

MMN

(1100/MK/UB)

(प्रश्न 121)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्नकाल, क्वैश्चन नम्बर-121, श्री यदुवीर वाडियार जी। ... (व्यवधान)

SHRI YADUVEER WADIYAR (MYSORE): Sir, the State of Karnataka ranks amongst the driest States. My Constituency and the surrounding districts have been significantly benefited by Atal Bhujal Yojana. The answer provided to us gave tremendous amount of information regarding the Yojana. ... (*Interruptions*)

However, the Comptroller and Auditor-General's report of 2022-23 identified significant delays in procurement of essential items with only 35.34 per cent of allocated funds utilised. ... (*Interruptions*)

I would like to know from the hon. Minister, through you, hon. Speaker, what steps are being taken to expedite the procurement process and to ensure that Karnataka's ground water management infrastructure is adequately equipped to meet the present and future challenges. ... (*Interruptions*)

श्री सी. आर. पाटिल: माननीय अध्यक्ष जी, अटल भूजल योजना के तहत पूरे देश के करीब 150 जिले हैं। 150 जिलों में से, जहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, वैसे जिलों का हमने चयन किया है। हमने कर्नाटक में 14 जिले के 2,480 ब्लॉक्स में यह काम शुरू किया है और 1707 जगहों पर यह काम कम्प्लीट भी हो गया है। आप देखेंगे तो भूजल योजना में पहले जो करीब 16.84 वीसीएम भरण हो रहा था, अभी 18.74 वीसीएम का भरण उसके अंदर हो रहा है। ... (व्यवधान) भूजल के डॉर्क ज़ोन के अंदर जिस तरह से लोगों की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वहां पानी की क्वालिटी ठीक नहीं थी और पानी भी नहीं था।... (व्यवधान) वह एक 'डार्क ज़ोन' जैसा था। उसके बाद उसके लिए वर्ल्ड बैंक और केन्द्र सरकार से आर्थिक मदद लेकर तथा राज्यों से सहायता लेकर इसके लिए टेक्निकल सहायता देते हुए इसके ऊपर जो काम शुरू हुआ है, उससे कर्नाटक में और पूरे देश में पुन:भरण का बहुत अच्छा काम हुआ है। उससे लाखों लोगों को फायदा हुआ है। धन्यवाद। ... (व्यवधान)

(इति)

(pp. 3-30)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, प्रश्न काल महत्वपूर्ण समय होता है। पहली बार चुनकर आए माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं। आप सदन में प्रश्न काल के अंदर नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करते हैं। यह अच्छी परम्परा नहीं है। आपने इतने साल शासन किया है। आप सदन में व्यवधान और गतिरोध पैदा करना चाहते हैं।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैंने आपसे कहा है कि 12 बजे विषय को रखने देंगे, लेकिन आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं। माननीय सदस्यों ने कई बार मुझसे मिलकर कहा है कि प्रश्न काल के अंदर हमारे महत्वपूर्ण विषय होते हैं और आप महत्वपूर्ण विषय को सदन में नहीं लाना चाहते हैं। मंत्रीगण को जवाब नहीं देने देते। प्रश्न काल में सरकार की जवाबदेही तय होती है। यह संसद का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है।

मेरा आपसे आग्रह है कि आप संसद की मर्यादाएं, परम्पराएं और परिपाटियों को बनाकर रखें। आप अच्छी परम्पराएं शुरू करें। मैं हर विषय पर और हर मुद्दे पर आपको बोलने की इजाजत दूंगा, लेकिन प्रश्न काल के अंदर किसी मुद्दे की इजाजत नहीं दी जाती है। यह संसद की नियम और परम्परा है। क्या आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं? आप सदन में नियोजित तीरके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं? आप माननीय सदस्यों का हक और अधिकार छिनना चाहते हैं?

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही आज दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 1104 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा चौदह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1400/GM/SJN)

1400 बजे

लोक सभा चौदह बजे पुनः समवेत् हुई। (माननीय अध्यक्ष <u>पीठासीन हुए)</u>

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, प्लीज बैठिए।

... (व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1400 बजे

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमित प्रदान नहीं की है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अगर आप प्रश्न काल चलने देते, तो मैं शून्य काल चलाता। जब आपने प्रश्न काल नहीं चलने दिया, तब मैंने सोचा कि शून्य काल भी नहीं चलेगा।

... (व्यवधान)

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज) : महोदय, हिन्दुस्तान की सुरक्षा खतरे में है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बैठ जाइए। आप बैठने की भी कुछ आदत बनाइए।

... (व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1401 बजे

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। आइटम नंबर – 2, श्री जुएल ओराम जी।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: आइटम नंबर – 3, श्री राव इन्द्रजीत सिंह जी।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION; MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (RAO INDERJIT SINGH): Sir, on behalf of my colleague Shri Gajendra Singh Shekhawat, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Kalakshetra Foundation, Chennai, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Kalakshetra Foundation, Chennai, for the year 2023-2024.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.
- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Centre for Cultural Resources and Training, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Centre for Cultural Resources and Training, New Delhi, for the year 2023-2024.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.
- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Lalit Kala Akademi, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Lalit Kala Akademi, New Delhi, for the year 2023-2024.

- (6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.
- (7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Vrindavan Research Institute, Vrindavan, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Vrindavan Research Institute, Vrindavan, for the year 2023-2024.
- (8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.
- (9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Library of Tibetan Works and Archives, Dharamsala, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Library of Tibetan Works and Archives, Dharamsala, for the year 2023-2024.
- (10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.
- (11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Gaden Rabgyeling Monastic School, Bomdila, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Gaden Rabgyeling Monastic School, Bomdila, for the year 2023-2024.
- (12) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (11) above.
- (13) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Gandhi Smriti and Darshan Samiti, New Delhi, for the year 2023-2024.
 - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Gandhi Smriti and Darshan Samiti, New Delhi, for the year 2023-2024, together with Audit Report thereon.

- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Gandhi Smriti and Darshan Samiti, New Delhi, for the year 2023-2024.
- (14) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (13) above.
- (15) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-
 - (i) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Culture for the year 2025-2026.
 - (ii) Output Outcome Monitoring Framework of the Ministry of Culture for the year 2025-2026.

माननीय अध्यक्ष: आइटम नंबर – 4, डॉ. मनस्ख मांडविया जी।

THE MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT; AND MINISTER OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (DR. MANSUKH MANDAVIYA): Sir, I beg to lay on the Table a copy of Output Outcome Monitoring Framework (Hindi and English versions) of the Ministry of Labour and Employment for the year 2025-2026.

माननीय अध्यक्ष: आइटम नंबर – 5, डॉ. जितेंद्र सिंह जी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, डॉ. जितेंद्र सिंह जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

- (1) केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक एवं खेल बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (2) केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक एवं खेल बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर - 6, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Output Outcome Monitoring Framework (Hindi and English versions) of the Ministry of Law and Justice for the year 2025-2026.
- (2) A copy of the Conduct of Elections (Second Amendment) Rules, 2024 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O. 5517(E) in Gazette of India dated 20th December, 2024 under sub-section (3) of section 169 of the Representation of the People Act, 1951.

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर – 7, श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव जी। आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

- (1) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गोरखपुर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गोरखपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अवंतीपुरा, जम्मू और कश्मीर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अवंतीपुरा, जम्मू और कश्मीर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, राजकोट के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, राजकोट के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलुरू के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलुरू के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, विजयपुर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, विजयपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) एम्स, बिलासपुर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) एम्स, बिलासपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, देवघर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, देवघर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर – 8, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, on behalf of my colleague Shri Jitin Prasada, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Centre for Materials for Electronics Technology (C-MET), Pune, for the year 2023-2024, along with Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Centre for Materials for Electronics Technology (C-MET), Pune, for the year 2023-2024.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.
- (3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-
 - (i) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Commerce and Industry for the year 2025-2026.
 - (ii) Output Outcome Monitoring Framework of the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, for the year 2025-2026.

(iii) Output Outcome Monitoring Framework of the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, for the year 2025-2026.

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर – 10, श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research, S.A.S. Nagar, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research, S.A.S. Nagar, for the year 2023-2024.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.
- (3) A copy of the Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the Annual Report and Audited Accounts* of the National Academy of Medical Sciences, New Delhi, for the year 2023-2024.

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर – 11, डॉ. राज भूषण चौधरी जी। जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. राज भूषण चौधरी) : महोदय, श्री वी. सोमन्ना जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हुं :-

(1) (एक) डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

^{*} Annual Report and Audited Accounts for the year 2023-24 were laid on 07.02.2025

- (दो) डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर – 12, डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी जी।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (DR. CHANDRA SEKHAR PEMMASANI): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 14 of the Post Office Act, 2023:-
 - (i) The Post Office Rules, 2024 published in Notification No. G.S.R. 767(E) in Gazette of India dated 16th December, 2024.
 - (ii) The Post Office Regulations, 2024 published in Notification No. S.O. 5440(E) in Gazette of India dated 16th December, 2024.
- (2) A copy of the Telecom Consumers Protection (Twelfth Amendment) Regulations, 2024 (Hindi and English version) published in Notification No. RG-13/1/(1)/2023-ADV_FEA-I in Gazette of India dated 24th December, 2024 under Section 37 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997.

माननीय अध्यक्ष: आइटम नंबर – 13, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, कुमारी शोभा कारान्दलाजे जी की और से, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

- (1) वर्ष 2025-2026 के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (2) वर्ष 2025-2026 के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI KIRTI VARDHAN SINGH): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Notification No. S.O. 441(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 24th January, 2025 regarding constitution of the Taj Trapezium Zone Pollution (Prevention and Control) Authority issued under Sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986.
- (2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 26 of the Environment (Protection) Act, 1986:-
 - (i) The Environment (Protection) Third Amendment Rules, 2024 published in Notification No. G.S.R.787(E) in Gazette of India dated 30th December, 2024.
 - (ii) The Environment (Protection) Amendment Rules, 2025 published in Notification No. G.S.R.70(E) in Gazette of India dated 22nd January, 2025.
 - (iii) The E-Waste (Management) Second Amendment Rules, 2024 published in Notification No. G.S.R.699(E) in Gazette of India dated 12th November, 2024.
- (3) A copy of the Public Liability Insurance (Amendment) Rules, 2024 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 772(E) in Gazette of India dated 17th December, 2024 under subsection (3) of Section 23 of the Public Liability Insurance Act, 1991.
- (4) A copy of the Environment Relief Fund (Amendment) Scheme, 2024 (Hindi and English version) published in Notification No. S.O.5453(E) in Gazette of India dated 17th December, 2024 issued under Section 7(A) of the Public Liability Insurance Act, 1991.
- (5) A copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for the year 2025-2026.

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर – 15, श्री बी. एल. वर्मा जी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

- (1) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 105 की उप-धारा (1) के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (समूह 'क' पद) भर्ती (दूसरा संशोधन) नियम, 2024, जो दिनांक 3 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 746(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रित (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
 - (एक) वर्ष 2025-2026 के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
 - (दो) वर्ष 2025-2026 के लिए उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

(1405/SPS/SRG)

माननीय अध्यक्ष: आइटम नं. 16, श्री शान्तनु ठाकुर।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS (SHRI SHANTANU THAKUR): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-
 - (i) Review by the Government of the working of the Sagarmala Development Company Limited, New Delhi, for the year 2023-2024.
 - (ii) Annual Report of the Sagarmala Development Company Limited, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

माननीय अध्यक्ष : आइटम नं. 17, श्री सुरेश गोपी।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM (SHRI SURESH GOPI): Sir, I beg to lay on the Table a copy of each of the following papers (Hindi and English versions):-

- (1) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Petroleum and Natural Gas for the year 2025-2026.
- (2) Output Outcome Monitoring Framework of the Ministry of Petroleum and Natural Gas for the year 2025-2026.

माननीय अध्यक्ष : आइटम नं. 18, श्री अजय टम्टा।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय टम्टा): अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2025-2026 के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

माननीय अध्यक्ष: आइटम नं. 19, श्री दुर्गा दास उइके। जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दुर्गा दास उइके): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

- (1) (एक) नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

माननीय अध्यक्ष: आइटम नं. 20, श्री सुकान्त मजूमदार।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION (SHRI SUKANTA MAJUMDAR): Sir, I beg to lay on the Table:

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Srinagar, Hazratbal, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology Srinagar, Hazratbal, for the year 2023-2024.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.
- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the North Eastern Regional Institute of Science and Technology, Itanagar, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the North Eastern Regional Institute of Science and Technology, Itanagar, for the year 2023-2024.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.
- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Tiruchirappalli, Tiruchirappalli, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology Tiruchirappalli, Tiruchirappalli, for the year 2023-2024.
- (6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

- (7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur, for the year 2023-2024.
- (8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.
- (9) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-
 - (i) Review by the Government of the working of the EdCIL (India) Limited, Noida, for the year 2023-2024.
 - (ii) Annual Report of the EdCIL (India) Limited, Noida, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
- (10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

माननीय अध्यक्ष : आइटम नं. 21, श्री तोखन साहू जी। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तोखन साहू) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

- (1) (एक) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 - (दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 - (तीन) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

माननीय अध्यक्ष: आइटम नं. 22, श्री हर्ष मल्होत्रा।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हर्ष मल्होत्रा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

- (1) वर्ष 2025-2026 के लिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (2) वर्ष 2025-2026 के लिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

माननीय अध्यक्ष: आइटम नं. 23, श्री जॉर्ज कुरियन।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING (SHRI GEORGE KURIAN): Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

- (1) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Minority Affairs for the year 2025-2026.
- (2) Output Outcome Monitoring Framework of the Ministry of Minority Affairs for the year 2025-2026.

माननीय अध्यक्ष : आइटम नं. 23ए, श्री सुकान्त मजूमदार।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION (SHRI SUKANTA MAJUMDAR): Sir, to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English version):-

- (1) Detailed demands for grants of the Ministry of Development of North Eastern Region for the year 2025-2026.
- (2) Output Outcome Monitoring Framework of the Ministry of Development of North Eastern Region for the year 2025-2026.

1407 बजे

(इस समय श्री कल्याण बनर्जी, श्री धर्मेन्द्र यादव, श्री इमरान मसूद और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 संबंधी संयुक्त समिति प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष : आइटम नं. 24, श्री जगदम्बिका पाल।

श्री जगदिम्बका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदय, मैं वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 संबंधी

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

----... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, प्लीज, आप सब अपनी-अपनी सीट्स पर बैठिए।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : आप सब अपनी-अपनी सीट्स पर बैठिए। माननीय गृह मंत्री जी कुछ कहना

चाहते हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सब अपनी-अपनी सीट्स पर बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपके जो विषय हैं, उनको गृह मंत्री जी बता रहे हैं।

... (व्यवधान)

गृह मंत्री; तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह): माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं अपनी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं, क्षीर-नीर करके आप संसदीय कार्यपालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है, वह जोड़ें। इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मुझसे वक्फ बोर्ड के माननीय सदस्य मिले थे। वक्फ बोर्ड के माननीय सदयों से जिन-जिन विषयों पर चर्चा हुई है, उनको मैंने एनैक्श्वर में शामिल कर लिया गया है।

... (<u>व्यवधान</u>)

_

^{*} प्रतिवेदन 30 जनवरी, 2025 को लोक सभा अध्यक्ष के निदेश के निदेश 71 क (1) के अधीन माननीय अध्यक्ष को तब प्रस्तुत किया गया था, जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था तथा अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

PAPERS LAID ON THE TABLE - contd.

माननीय अध्यक्ष : आइटम नं. 2, श्री अर्जुन राम मेघवाल।

... (व्यवधान)

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, श्री जुएल ओराम जी की ओर से, मैं वर्ष 2025-2026 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

... (व्यवधान)

INCOME-TAX BILL

1409 hours

THE MINISTER OF FINANCE; AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to consolidate and amend the law relating to income-tax.

(1410/RCP/MM)

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि आय-कर से संबंधित विधि को समेकित करने और उसका संशोधन करने और उसका संशोधन करने वाले विधेश्यक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय जी।

आपकी पार्टी के लोग वैल में हैं, इसलिए हाउस ऑर्डर में नहीं है। इसलिए, छोड़ दीजिए।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : श्री मनीश तिवारी।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सौगत राय जी, अगर आप बिल के इंट्रोडक्शन पर बोलना चाहते हैं, तो बोल सकते हैं।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : आपकी पार्टी के माननीय सदस्य बोल रहे हैं और आप सदन में हंगामा कर रहे हैं। क्या आपका इतना आपस में विरोध है?

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : कृपया माननीय सदस्य को बोलने दीजिए। ... (व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I beg to oppose the introduction of the Income-Tax Bill, 2025. ... (Interruptions) The Income-tax Act, 1961 has been serving its purpose while it was amended every year. ... (Interruptions) The amendments were the result of the Government's decisions. In a new Bill, they will only have to suffer the same fate as the Government introduced the amendments in new words... (Interruptions) No new Bill needs to be introduced because the present one has a complex language. ... (Interruptions) The logic is that because of complex language there will be increasing percentage of compliance cannot hold. ... (Interruptions) The basic structure of the income tax remains the same because of its very nature, and no purpose would be served by introducing a new Income-Tax Bill to help tax administration... (Interruptions)

Sir, the new law has 622 pages, 526 Sections, 26 Chapters and 16 Schedules. ... (*Interruptions*) Is this a simple law? ... (*Interruptions*) The old law had 298 Sections and 135 Schedules. ... (*Interruptions*) So, there is no simplification. I oppose the introduction of the Bill.

(<u>इस समय श्री कल्याण बनर्जी, श्री धर्मेन्द्र यादव, श्री इमरान मसूद</u> और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गए।)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, with your permission, three Members have mentioned about their objections to the introduction of this Bill. I would like to say that actually Shri N.K. Premachandran's objection does not seem to be correct at all, and that is also mentioned in my introductory remarks. The Income-Tax Act was originally enacted in 1961, and it came into effect in 1962. At that time, it had only 298 sections. That is correctly referred. But then, as time went by, year after year, many more sections were added. As it stands today, there are 819 sections. From those 819 sections, we are bringing it down to 536 sections. So, he should look at what it is today rather than what it was in 1961. So, on that objection, I do not think he is right. He should understand where the law is today and where it has been reduced.

Secondly, Shri Manish Tewari's argument was this. Sections are more now rather than when it was in 1961. That is a point. That I have answered. Then, 4000 amendments have been made from 1961. All those are being looked at now and being reduced now. So, Shri Manish Tewari's core argument that it contains 536 clauses and has also more number of amendments now, I think that he has not even looked into the papers, I am sorry to say. So, it cannot be sustained. Shri N.K. Premachandran's statement about objects and reasons being different is also not correct. I can explain in detail the objects and reasons when we will take it up for discussion. But it cannot be sustained as an objection.

Thirdly, coming to Prof. Sougata Ray's comment regarding the philosophy and also the number of words, and so on, he is thinking that it is only a mere mechanical change. It is not a mechanical change. Substantial changes are being made. The number of words has come down by half. Where there were five-and-a-half lakh words, now it has come down by half. Sections have come down. Chapters have come down. It is in plain simple English and in plain simple Hindi. ... (*Interruptions*) Therefore, these are not sustainable.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि आय-कर से संबंधित विधि को समेकित करने और उसका संशोधन करने और उसका संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमित प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u> ... (व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I introduce the Bill.

माननीय अध्यक्ष: आप किस बात के लिए 'ना' कह रहे हैं, यह आपको पता नहीं है। ... (व्यवधान)

(1415/YSH/PS)

MOTION RE: REFERENCE OF INCOME-TAX BILL TO SELECT COMMITTEE

1415 hours

THE MINISTER OF FINANCE; AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, with your permission, I rise to move:

"That the Income-Tax Bill, 2025 be referred to a Select Committee of the House.

The names of the Members of the Committee will be decided by hon. Speaker.

The terms and conditions regarding the Committee will be decided by hon. Speaker.

The Committee shall make a report by the first day of the next session."

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

*"That the Income-Tax Bill, 2025 be referred to a Select Committee of the House.

The names of the Members of the Committee will be decided by hon. Speaker.

The terms and conditions regarding the Committee will be decided by hon. Speaker.

The Committee shall make a report by the first day of the next session."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

^{*} Original in Hindi

PAPERS LAID ON THE TABLE - contd.

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर – 9, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Hon. Speaker, Sir, with your kind permission, I rise to lay the Papers on the Table of the House mentioned against the name of my colleague, Shri Shripad Yesso Naik:-

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under subsection 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-
- (a) (i) Review by the Government of the working of the Solar Energy Corporation of India, New Delhi, for the year 2023-2024.
 - (ii) Annual Report of the Solar Energy Corporation of India, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.
- (3) A copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of New and Renewable Energy for the year 2025-2026.

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर – 25. श्री जगदम्बिका पाल जी।

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 संबंधी संयुक्त समिति साक्ष्य का अभिलेख

श्री जगदिम्बका पाल (डुमिरयागंज): अध्यक्ष महोदय, मैं वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 संबंधी संयुक्त सिमिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य का अभिलेख सभा पटल पर रखता हूँ।

... (<u>व्यवधान</u>)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 123वें और 130वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य – सभा पटल पर रखा गया

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव): अध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय से संबंधित कोविड-19 वैश्विक महामारी का प्रकोप और इसका प्रबंधन के संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 123वें और 130वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

... (<u>व्यवधान)</u> नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

1408 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमित प्रदान की गई है। जो माननीय सदस्य नियम 377 के तहत मामले उठाना चाहते हैं, वे अपने अनुमोदित पाठ को व्यक्तिगत रूप से सदन के पटल पर रख सकते हैं।

Re: Need to expedite construction of Pinjore-Baddi-Nalagarh National Highway into four-lane highway

श्री सुरेश कुमार कश्यप (शिमला): मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान मैं लाना चाहूंगा कि पिंजौर बाजार (हरियाणा) से होकर हिमाचल के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी-नालागढ़ जाने वाले हजारों वाहनों से होने वाले ट्रैफिक जाम से निजात के लिए सिंगल लेन पिंजौर- बद्दी -नालागढ़ नेशनल हाईवे को 12 वर्ष पूर्व 36 किलोमीटर लंबे फोरलेन बनाने की परियोजना को मंजूरी मिली थी। लेकिन कई अड़चनों के बाद 05-04-2022 इसका निर्माण कार्य आरंभ हुआ था जो 30-09-2024 तक पूरा किया जाना था परन्तु निर्माण कार्य कछुआ चाल से चल रहा है। अभी तक इसका काम मात्र 38.60 प्रतिशत ही पूरा हुआ है और 61.40 प्रतिशत काम अभी भी बकाया है। परियोजना हेतु 1692 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है। इसके कुल 36 किलोमीटर की लंबाई में से 17.37 किलोमीटर हिस्सा हिमाचल में और बाकी हरियाणा में है।

चंडीगढ़- शिमला नेशनल हाईवे से हिमाचल प्रदेश बद्दी, बरोटी वाला औद्योगिक क्षेत्र जाने के लिए पिंजौर से होकर गुजरने वाले वाहनों के लिए एकमात्र डबल लेन पिंजोर- नालागढ़ नेशनल हाईवे पर प्रतिदिन हजारों वाहन आते जाते हैं। इसलिए इस मार्ग पर ना केवल हमेशा ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है बल्कि प्रतिदिन यहां पर कोई ना कोई छोटी या बड़ी दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। जिनमें अनेक लोंगों की जान जा चुकी है और कई लोग घायल भी हो चुके हैं। वाहनों का नुकसान भी इसमें जोड़ा जाए तो यह समस्या धीरे-धीरे विकराल रूप धारण कर चुकी है। इस मार्ग पर पिंजौर दून क्षेत्र दर्जनों गांव सहित हिमाचल प्रदेश के भी कई गांवों और कस्बे पड़ते हैं गांव और कस्बों के निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी से निवेदन प्राथना है कि इस मार्ग के निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाये।

(इति)

Re: Welfare measures for farmers undertaking organic farming श्री दर्शन सिंह चौधरी (होशंगाबाद): गौ आधारित प्राकृतिक कृषि से मिलने वाले विष मुक्त प्राकृतिक अनाज के उचित दाम किसानों को मिले इसके लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है। साथ में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए सरकार ने कौन-कौन कदम उठाए हैं एवं आगामी योजना क्या है? क्या सरकार की विष मुक्त प्राकृतिक खेती करने एवं कृषकों को प्रशिक्षित करने की कोई योजना है?

Re: Need to establish an ESIC hospital in **Farrukhabad Parliamentary Constituency**

श्री मुकेश राजपूत (फर्रुखाबाद) : मेरे संसदीय क्षेत्र फर्रुखाबाद में एक भी कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा संचालित चिकित्सालय नहीं है। फर्रूखाबाद जनपद में आलू उत्पादन एवं कपड़ों पर ब्लॉक प्रिंटिंग, जरदोजी का कार्य बड़े पैमाने पर होता है। जिसमें लाखों की संख्या में श्रमिक कार्य करते हैं। परंतु उनकी स्वारथ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए एक भी श्रमिक चिकित्सालय नहीं है। मेरा माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि मेरे संसदीय क्षेत्र फर्रूखाबाद में फर्रूखाबाद शहर में एक श्रमिक चिकित्सालय ई.एस.आई.सी. अस्पताल की स्थापना करानें की कृपा करें जिससे कि मेरे क्षेत्र के श्रमिकों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान हो सके।

(इति)

Re: Need to implement Peace Accords with insurgent groups of North East in a time-bound manner

श्री दिलीप शइकीया (दारंग-उदालगुड़ी) : देश के पूर्वोत्तर राज्यों में 200 से अधिक जनगोष्ठिय समूह हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र ने पिछले कई दशकों में अस्थिर, विषम परिस्थितयों, अलग-अलग विचारधारा के समूहों ने कई दशकों तक आंदोलन देखा है। 2014 के बाद से यहाँ की तकदीर और तस्वीर दोनों बदली है। मा. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्वोत्तर को हमेशा से प्राथमिकता दी है और वहां के लोगों को यह विश्वास दिलाया कि विकास के लिए आंदोलन या विवाद की नहीं बल्कि सहयोग और परिश्रम की जरुरत है। मोदी जी के नेतृत्व में हमने पिछले 5 वर्षों में विभिन्न संगठनों के साथ 12 ऐतिहासिक समझौते किये हैं, जिनके कारण आज पूर्वोत्तर के बड़े हिस्से में शांति की स्थापना हुई है। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद असम में हिंसक घटनाओं में 87% की कमी आई है। मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए वर्ष 2014-24 तक 4 लाख करोड़ रू. से भी अधिक की राशि खर्च की है। मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवादी संगठनों के साथ हमारी सरकार द्वारा किये गए ऐतिहासिक समझौतों को समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जाए और स्थायी शान्ति स्थापित करने की दिशा में और भी ठोस कदम उठाये जाएँ। (इति)

Re: Need to establish a Navodaya Vidyalaya in Beawar District, Rajasthan श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ (राजसमन्द): आज के समय में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एजुकेशन के सुधार और क्वालिटी को और भी अच्छा करने के प्रयास किये जा रहे है। सभी बच्चों को आसानी से एजुकेशन मिल सके इसके लिए भी प्रयास हो रहे है और अभी के बजट में एजुकेशन अपनी भाषा में मिल सके इसके लिए प्रयास किये गए हैं जो स्वागत योग्य कदम है। मेरे संसदीय क्षेत्र राजसमन्द राजस्थान के अंतर्गत आने वाला ब्यावर जिला नवगठित जिला है जो अजमेर जिले से बना है। नया जिला बन जाने के बाद भी अभी तक ब्यावर जिले में नवोदय विद्यालय का निर्माण नहीं हो सका है। अभी बच्चों की पढाई के लिए नवोदय विद्यालय, नसीराबाद (अजमेर) में ही है। अत: ब्यावर में नवोदय विद्यालय बन जाने से बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सकेगी और उनका भविष्य भी अच्छा होगा। अत: आपके माध्यम से में सरकार से मांग करती हूँ कि ब्यावर जिले में नवोदय स्कूल जल्दी से जल्दी शुरू किया जाये।

(इति)

North East Delhi Parliamentary Constituency

श्री मनोज तिवारी (उत्तर-पूर्व दिल्ली): मैं सरकार का ध्यान उत्तर पूर्वी दिल्ली में खेल सुविधाओं की कमी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यह क्षेत्र घनी आबादी वाला है, जहाँ हजारों युवा खेलों में रुचि रखते हैं, लेकिन समर्पित खेल स्टेडियम और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में वे अपनी प्रतिभा निखार नहीं पा रहे। इससे युवा नशे और असामाजिक गतिविधियों की ओर भी बढ़ रहे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में कोई समर्पित खेल स्टेडियम नहीं है, जिससे खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए सही स्थान नहीं मिलता। प्रशिक्षण स्विधाओं के अभाव में स्थानीय खिलाड़ी अन्य जिलों या राज्यों की ओर रुख कर रहे हैं। खेल मैदानों की कमी के कारण युवाओं के पास सीमित अवसर हैं। क्षेत्र में एक या अधिक आधुनिक खेल स्टेडियमों का निर्माण किया जाए। स्थानीय खेल मैदानों को अपग्रेड कर कोचिंग, फ्लडलाइट और अन्य स्विधाएँ दी जाएँ। स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएँ। स्कुल-कॉलेज स्तर पर खेल सुविधाओं का विस्तार किया जाए। खेल क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए कोचिंग और प्रबंधन पदों का सृजन किया जाए। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में शीघ्र खेल स्टेडियमों का निर्माण कर युवाओं को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए। (इति)

Re: Need for official recognition for celebration of Sant Shri Sevalal Maharaj Jayanthi on 15th February

SHRIMATI D. K. ARUNA (MAHBUBNAGAR): I would like to bring to your kind notice regarding the need to declare and give official recognition and nationwide celebrations of Sant Shri Sevalal Maharaj Jayanthi on 15th February every year. In this regard, I would like to state that 12 crore Banjaras in the country have significantly contributed to the nation's welfare, especially during times when there were no roads and they pioneered transportation creating trade routes to carry essential goods and also helped Army during battles. Unfortunately, despite their sacrifices and contributions, the rich history of the Banjaras remain unrecognized in written records. At a time of socio-economic despair with Banjaras, Sant Shri Sevalal Maharaj emerged as a guiding light, blessed by Goddess Jagadamba who is callipered and a reformer, he dedicated his life as a social reformer, spiritual leader, pioneer, warrior and mentor to lead the Banjaras into a righteous path and today he is worshipped as a spiritual guru in the form of God with grand Bhog, Bhandaras conducted worldwide in his honour. States like Telangana, AP, Karnataka and Maharashtra have already officially recognized and celebrated his Jayanthi on 15th February every year and by recognizing his services at the national level, this would be an acknowledgement of his unparalleled social and humanitarian contributions in recognition of his invaluable services to the nation. Therefore, considering the deep sentiments of Banjaras national and worldwide, I humbly request the Hon'ble Minister of Social Justice & Empowerment, through the Chair, to kindly declare and give official recognition and nationwide celebrations of Shri Sevalal Maharaj Jayanthi on 15th February every year.

Re: Need to increase the number of beds in ESIC Hospital, Adityapur and establish an ESIC hospital in Moubhandar, Ghatshila in Jharkhand

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): इ.एस.आई.सी अस्पताल आदित्यपुर का (आईपी) लगभग 2 लाख है, जो यह स्पष्ट करता है कि यहां पर हर दिन बड़ी संख्या में श्रमिक इलाज के लिए आते हैं। यह आंकड़ा यह सिद्ध करता है कि अस्पताल में बेड की संख्या बहुत कम है और यह समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। मेरे संसदीय क्षेत्र में घाटशिला अंतर्गत मुहभण्डार क्षेत्र में HCL की कॉपर माइंस, UCIL माइंस, राइस मिल और अन्य कई नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं जिससे वहां कार्यरत श्रमिकों को चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है और यहाँ से श्रमिकों एवं उनके परिवारों को स्वास्थ्य सम्बंधित समस्याओं के निवारण हेतु एक-मात्र अस्पताल ESIC आदित्यपुर जाना पड़ता है जो कि लगभग 100 किमी से भी अधिक दूरी पर स्थित है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इ.एस.आई.सी अस्पताल, आदित्यपुर में बेड्स की कम संख्या को देखते हुए ESIC अस्पताल में बेड्स की संख्या को बढ़ा दिया जाए,साथ ही ESIC अस्पताल की एक शाखा मुहभण्डार, घाटशिला में स्थापित करने की कृपा करें। (इति)

Re: Need for urgent repairing and maintenance of breakwater at Androth Island in Lakshadweep

SHRI HAMDULLAH SAYEED (LAKSHADWEEP): I would like to draw the attention of the House to the urgent need for maintenance and repair of the breakwater at Androth Island, which is crucial for ensuring the safety and functionality of the island's maritime infrastructure. Several essential works, including the de-silting of the main wharf area, the retrieval and placement of tetrapods, and the supply of granite stone boulders for backfilling, are pending approval from the authorities. Despite estimates being submitted, the delay in approval and execution of these works is putting the infrastructure at risk. The tender process for casting 8T tetrapods is in progress, while the casting and placement of 8T tetrapods at the seaside of the breakwater await approval. These structures are critical for mitigating the impact of strong Hitting waves and protecting the breakwater. The maintenance of the IIF Wharf passenger shutter remains unfinished, affecting operations and connectivity. A major obstacle is the lack of a suitable crane. The retrieval and placement of 8T/12T tetrapods, awarded in 2023, have not begun due to the absence of a 100-ton capacity crane. The existing 30T crane is insufficient. I urge the Government to approve pending estimates, procure a highcapacity crane, and expedite the necessary work.

Re: Need to expedite implementation of Jal Jeevan Mission in Kerala

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): I wish to draw the attention of the Government to the serious delays in the implementation of the Jal Jeevan Mission (JJM) in Kerala. The Mission, which aims to provide Functional Household Tap Connections (FHTCs) to all rural households, is facing hurdles due to fund shortages and non-disbursal of payments to contractors. This has significantly slowed down progress, affecting thousands of households. Moreover, roads dug up for JJM pipeline works remain unrestored, causing severe inconvenience to the public. Many panchayat roads are in a dilapidated state, posing safety hazards to commuters and residents. The delay in releasing payments has further stalled road restoration efforts. I urge the Government to immediately address the issue by releasing pending funds, ensuring timely payments to contractors, and directing authorities to restore affected roads at the earliest. The success of JJM depends on efficient execution, and any delay undermines the purpose of providing safe drinking water. I seek the intervention of the Hon'ble Minister to take urgent action in this regard.

(ends)

Re: Need to fill up the vacancies in National Commission for Backward Classes (NCBC) and ensure its effective functionality

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): The prolonged vacancies in the National Commission for Backward Classes (NCBC), a constitutional body that plays a vital role in safeguarding the rights of our backward classes. For over a year, the positions of Vice-Chairperson and two members of the NCBC have remained vacant, severely affecting its functioning. This is not just a procedural lapse; it is a direct violation of the promise made to uplift and protect the interests of the backward classes in our country. The NCBC's mandate includes making recommendations for the inclusion of communities in the list of backward classes, investigating and monitoring complaints of discrimination, and advising the Government on matters related to social justice. The absence of key members in this Commission has paralyzed its work, leaving the backward classes without a proper forum to address their grievances and seek justice. This is a matter of deep concern, as it reflects the government's indifference toward the welfare of the most marginalized sections of society. I urge the Government to immediately fill these vacancies and ensure that the NCBC can function effectively, as it is crucial for the social and economic advancement of backward classes. The time to act is now.

Re: Adverse impact on steel industries due to rise in prices of PNG in Mandi Gobindgarh, Punjab

DR. AMAR SINGH (FATEHGARH SAHIB): Mandi Gobindgarh is the Steel industry hub of north India. It is part of Shri Fatehgarh Sahib Constituency. Once a bustling centre of iron and steel industry it has been affected in the recent past due to faulty policies and unfavorable trade conditions. Majority of the units are MSMEs, yet they collectively give employment to thousands of people. At present, the owners of these Industries are protesting that PNG pipelines were laid and owners of re-rolling units had spent crores on installing gas machinery and over a period of time, companies started increasing the price of PNG, forcing the steel industries in Punjab to again use coal or to shut down, so as to compete with the states where fossil fuel was still being used. Therefore, Government should consider and revise the pricing so that the industry and environment both should not be impacted. I request that the Government to depute senior officers to meet with the industry groups from Mandi Gobindgarh and offer the maximum policy relief possible.

(ends)

Re: Need to restore allocation of funds under various scholarship schemes meant for students belonging to marginalized communities

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): I wish to draw the Union Government's attention to the proposed drastic budget cuts to key scholarship programmes, which would severely impact marginalised students' access to higher education. The Union Budget 2025 proposes a 99.8% cut to the National Overseas Scholarship, reducing it from Rs. 6 crore in revised estimates (RE) 2024 to Rs. 0.01 crore in budget estimates (BE) 2025. Similarly, the National Fellowship and Scholarship for Higher Education of ST Students proposes a 99.99% reduction, from Rs. 240 crore in RE 2024 to Rs. 0.02 crore in BE 2025. Additionally, the Pre-Matric and Post-Matric Scholarships for Minorities are set to decrease by 72.4% and 69.9%, respectively according to the proposed Budget. Additionally, the Parliamentary Standing Committee on Social Justice and Empowerment has pointed out that no new schemes have been introduced to replace the Maulana Azad National Fellowship and the Padho Pardesh Interest Subsidy Scheme which were discontinued in 2022-23 due to overlaps with other government programs. I, therefore, urge the Ministers of Finance and other concerned Ministries to take immediate measures to restore funding for these crucial scholarships and ensure that financial constraints do not prevent students from disadvantaged backgrounds from accessing higher education. (ends)

Re: Need to waive the loan of rice cultivators in Banda Parliamentary Constituency

श्रीमती कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल (बांदा): बुंदेलखंड का सारा क्षेत्र कृषि आधारित है। मैं बांदा चित्रकूट से चुन कर आती हूँ तथा वहाँ मुख्य रूप से चावल और गेहूं उगाया जाता है। मैं बताना चाहूँगी कि पिछले साल जहां चावल का दाम 4000 रुपये प्रति क्वविंटल बेचा गया था। इस साल वही चावल आधे से भी कम 2000 रुपये प्रति क्वविंटल से 2500 रुपये प्रति क्वविंटल में बिक रहा है। जिससे कि किसानों का लगाया गया मूलधन भी नहीं निकल पाया है और सरकार दावा करती है कि हम किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं। किसानों को उचित दाम न मिलने के कारण उनके ऊपर कर्जा अधिक बढ़ गया है जिसके कारण किसान आत्महत्या करने में मजबूर हो रहा है। अतः मेरी सरकार से गुजारिश है कि किसानों का कर्ज माफ किया जाए।

(इति)

Re: Need to exclude Muzaffarnagar and Shamli from NCR

श्री हरेन्द्र सिंह मिलक (मुजफ़्फ़रनगर): मुजफ्फरनगर और शामली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सिम्मिलत किये जाने के निर्णय से छोटे और मझोले व्यापारियों और किसानो समेत वहां के नागरिको पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मुज़फ्फरनगर शामली समेत इन हिस्सों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लाये जाने से वहाँ अनावश्यक पाबंदिया लगा दी गयी है इससे किसानो के ट्रेक्टर, छोटे वाहन चालकों और छोटे छोटे उद्योगों कल-कारखानों पर अनावश्यक NCR के प्रतिबन्ध और रुकावटें लागू हो जाती है। किसानो के ट्रेक्टर, अन्य कृषि सम्बन्धी यंत्र तथा अन्य डीजल वाहनों पर भी ऐसे प्रतिबन्ध और भारी जुर्माने से उनके रोज़ी रोजगार का नुक्सान भी हो रहा है जबिक यह क्षेत्र दिल्ली से १०० किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। अत: मै सरकार से यह मांग करता हूँ कि मेरे क्षेत्र के निवासियों पर लागू इन पाबंदियों से हम सभी परेशान है। अत: इन परेशानियों को ध्यान में रखते हुए कृपया मुज़फ्फरनगर और शामली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर करवाने की कृपा करें। (इति)

Re: Need to recognize Gangasagar Mela observed in Sagar Island, West Bengal as a National Mela

SHRIMATI JUNE MALIAH (MEDINIPUR): According to mythological, archaeological and historical evidences, Gangasagar Mela is the largest and oldest annual religious congregation of our country. It has been held at Sagar Island continuously for the last three millennia. It is a place on Sunderban delta where river Ganga meets the sea and a small temple with holy sage Kapil Muni, sage Bhagirath and the Ganga exists. The legend is associated with the story of King Bhagirath who performed penance and brought the sacred river Ganga from heaven to earth to free the souls of his ancestors, 60,000 sons of King Sagar, who were cursed by Maharishi Kapil Muni and turned to ashes. Rivergoddess Ganga descended here making Gangasagar a revered place to worship, perform rituals and seek spiritual solace. It is said that on Makar Sakranti, the Ganga reached the sage's 'Ashram' (hermitage) at Sagardweep and the condemned were liberated. Every year, in mid-January, on the occasion of Makar Sankranti, millions of Hindu devotees from all over India and abroad assemble at the Sagar Island. It is believed that a holy dip in the confluence of the Ganga and the Bay of Bengal will lead to atonement for earthly sins and the achievement of Moksha or salvation. Thus, the event has deep-rooted mythological and astrological significance, with this Mela itself together with Kapil Muni and the Sagar Island having been mentioned in the ancient Indian epics such the Ramayana, the Mahabharata and Kalidasa Raghuvamsham. As it is totally isolated from the mainland, all pilgrims are bound to cross the river Muriganga to reach the island, making it the only pilgrimage in India, which is accessible solely through waterways. There is urgent need for a bridge over Muriganga, for which detailed project report (DPR) has been completed by state Government at an estimated cost of Rs. 1500 crore. Intangible Cultural Heritage of India National Inventory can refer to "Social practices, rituals and festive events", making Gangasagar Mela eligible to be included in the list of National Melas like the festivals such as Deepavali, Chhat Puja and Kumbh Mela. Hence, I am seeking attention of Government of India to recognize Gangasagar Mela as a national Mela/a fair of national importance and placement of fund for this purpose.

Re: Need to take comprehensive measures to address the losses on account of transmission and distribution of electricity in the country

DR. T. SUMATHY ALIAS THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Transmission & Distribution (T&D) losses in the country is the major reason for the shortage of power in the country. According to the Government report, India's T&D losses have been over 20 percent of generation, which is more than twice the world average. If only the government reduces the T&D losses the power supply will see the brighter side. Tamil Nadu is one of the top industrial states in the country and its power supply and demand alongwith the per capita consumption too is on higher side. According to the Load Generation Balance Report(LGBR) of the Southern Regional Power Committee(SRPC), TN's peak demand in April is expected to be 20600MW, against the availability of 21,488MW, resulting in a surplus of 985MW. But, in the evening, the requirement would be 20,700MW as against the availability of 16,003 MW, and leading to a deficit of 4,697MW. Steps are being taken by the Government of Tamil Nadu to ensure uninterrupted supply. Sir, ahead of summer, the TNEB and TANGEDCO officials have identified overloading issues in 6,536 transformers across the state, of which, 407 have already been fixed. 48 new sub-stations have been installed to strengthen the power grid along with the proposal to commission 20 power substations throughout Tamil Nadu to provide an uninterrupted power supply. TANGEDCO is getting loans from REC Limited and Power Finance Corporation Ltd., to enhance power infrastructure at a rate of interest about 12.5%. The Government of India has been requested for reducing the interest to 9%. Therefore, I urge the Union Government to take all necessary steps to reduce the T & D losses in the country to less than 10%. Also I request the Union Government to provide adequate financial support to develop state of art power infrastructure in Tamil Nadu with a reduced rate of interest.

Re: Need to set up a Post Office Passport Seva Kendra in Periyar Nagar area of North Chennai Parliamentary Constituency DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): North Chennai, which includes densely populated areas such as Periyar Nagar, has seen significant growth in both residential and commercial sectors in recent years. Despite this, the residents of these areas are forced to travel long distances to the nearest passport office or regional passport office, which is inconvenient, costly, and time-consuming. The establishment of a Post Office Passport Seva Kendra (POPSK) in Periyar Nagar will significantly reduce the burden on local residents, especially in terms of transportation and time spent traveling to distant locations. Currently, the nearest POPSK is located far from the Periyar Nagar area. With the rapid urbanization and increasing number of passport applications, it is imperative that a passport service center is set up in this area. It is not uncommon for residents of North Chennai to face long waiting periods or have to travel long distances to reach an appointment at the nearest passport center. Being a representative of North Chennai Parliamentary Constituency, I have requested vide my letters dated 10.08.2024, 08.09.2024 & 19.01.2025 but no action has been taken so far. Therefore, I urge the Union Minister to open a Post Office Passport Seva Kendra in Periyar Nagar area of North Chennai Constituency Parliamentary Constituency as soon as possible.

Re: Need to relocate the Jonnada toll gate at the bypass road near Modavalasa-Chelluru in Andhra Pradesh

SHRI APPALANAIDU KALISETTI (VIZIANAGARAM): I rise to draw the attention of this House and the Hon'ble Minister of Road Transport and Highways to a pressing issue concerning the Vizag-Raipur Highway (NH-43). This vital highway, along with the four-lane bypass road from Modavalasa to Gotlam on the outskirts of Vizianagaram, was envisioned to enhance regional connectivity, boost economic activity, and streamline freight movement across North Andhra and beyond. However, the placement of a toll gate at Jonnada, located between Vizianagaram and Visakhapatnam cities, undermines these objectives. This toll gate, instead of being located on the bypass or the Vizag-Raipur Highway, has been placed on a route heavily used by local commuters traveling between Vizianagaram and Visakhapatnam. Thousands of daily commuters, who neither use the bypass nor benefit directly from the highway infrastructure, are now being unfairly burdened with toll fees. I urge the Hon'ble Minister to revisit the toll placement policies and initiate a review of this matter. Corrective measures such as relocating the Jonnada tollgate to the bypass road near Modavalasa-Chelluru, where it rightfully belongs, would ensure fairness, equity, and public convenience. Let us reaffirm our commitment to creating infrastructure that serves the people efficiently and justly.

(ends)

Re: Expansion of Saharsa Airport, Bihar

श्री दिनेश चंद्र यादव (मधेपुरा): बिहार राज्य के सहरसा प्रमंडलीय मुख्यालय का मुख्य शहर है, यहाँ दर्जनों शैक्षणिक संस्थान है। यहाँ से बड़ी संख्या में लोग विदेशों में रह रहे है। यहाँ से हवाई सेवा उपलब्ध नहीं रहने के कारण लोगों को भारी दिक्कत हो रही है। सरकार ने क्षेत्रीय उड़ान योजना अन्तर्गत सहरसा हवाई अड्डा को अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। वर्तमान समय में सहरसा हवाई अड्डा के अंतर्गत 62 एकड़ जमीन है और इसके रनवे की लम्बाई 854 मीटर है। बिहार सरकार रनवे विस्तार के लिए 99 एकड़ अतिरिक्त जमीन अधिगृहित करा रही है, जिससे रनवे की कुल लम्बाई 2744 मीटर हो जाएगी। सहरसा हवाई अड्डा के विस्तारीकरण के योजना का प्री-फिजिबलिटी, सर्वेक्षण एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों ने 3 फरबरी 2025 को किया है। अतः मैं नागरिक उडयन मंत्री जी से मांग करता हूँ कि सहरसा में हवाई अड्डा की आवश्यकताओं को देखते हुए उसकी स्वीकृति जल्द दी जाय।

(इति)

Re: Need to include Buxar under Religious Tourism Circuit

श्री सुधाकर सिंह (बक्सर): मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। जैसा कि बोधगया को भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली के रूप में विकसित किया गया है और उसे अंतरराष्ट्रीय धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है, उसी प्रकार बक्सर, जो कि प्रभ् श्रीराम की ज्ञान स्थली रही है, को भी धार्मिक पर्यटन सर्किट में शामिल किया जाना चाहिए। बक्सर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व अत्यंत व्यापक है। यही वह स्थान है जहां महर्षि विश्वामित्र ने भगवान श्रीराम और लक्ष्मण को दिव्य अस्त्र-शस्त्रों की शिक्षा दी थी। यह पवित्र भूमि करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ी हुई है, लेकिन इसके बावजूद आज तक इसे धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करने की दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया है। अतः, मैं सरकार से आग्रह करता हँ कि बक्सर को आधिकारिक रूप से धार्मिक पर्यटन सर्किट में शामिल किया जाए और यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों का समुचित विकास किया जाए।यह न केवल सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने का कार्य करेगा, बल्कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। अतः, सरकार इस दिशा में शीघ्र आवश्यक कदम उठाए। (इति)

Re: Need to declare Hastinapur in Uttar Pradesh as a Pilgrim Centre and Cultural heritage site

श्री चंदन चौहान (बिजनौर): मैं सरकार का ध्यान हस्तिनापुर के एतिहासिक और पौराणिक महत्त्व की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। हस्तिनापुर, जो महाभारत काल में कौरवों की राजधानी थी, भारतीय संस्कृति और इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यहाँ कई प्राचीन मंदिर, आश्रम और अन्य धार्मिक स्थल स्थित हैं जो इसे एक प्रमुख तीर्थस्थल बनाते हैं।

हस्तिनापुर में स्थित प्रमुख स्थानों में पांडेश्वर मंदिर, कर्णेश्वर मंदिर, द्रोणाचार्य आश्रम और जैन धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल शामिल हैं। इन स्थलों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्त्व अत्यधिक है और यहाँ देशभर में श्रद्धाल् एवं पर्यटक आते हैं।

अत: मैं सरकार से अन्रोध करता हूँ कि हस्तिनापुर को एक आधिकारिक तीर्थ स्थल और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में घोषित किया जाए, जिससे इसकी समृद्ध विरासत का संरक्षण हो सके और पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। (इति)

Re: Need to provide Rajasthan its share of water from Ravi and Beas Rivers

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : मैं माननीय जल शक्ति मंत्री जी को रावी- व्यास नदी के जल में पंजाब द्वारा राजस्थान के शेष हिस्सेदारी 0.60 एम.ए.एफ. पानी देने की मांग के संबंध में अवगत करवाना चाहता हं कि दिनांक 31.12.1981 को पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के मध्य रावी-व्यास नदियों के आधिक्य जल के बंटवारे के बारे में एक समझौता हुआ जिसके अनुसार रावी-व्यास नदियों के आधिक्य जल में से राजस्थान के लिए भी उसके हिस्से का जल निर्धारित किया गया व समझौते के कुछ वर्षो बाद राजस्थान अपने हिस्से का पूर्ण जल उपयोग करने की स्थिति में हो गया और राजस्थान सरकार द्वारा भाखड़ा व्यास प्रबंधन मंडल, भारत सरकार तथा पंजाब सरकार को कई बार प्रतिवेदन भी दिए और पंजाब सरकार जब राजस्थान को उसके हिस्से का पानी नहीं देने के उद्देश्य से पंजाब समझौता समाप्ति अधिनियम 2014 लेकर आई तब भारत सरकार द्वारा भेजे गए इस विषय का परीक्षण करके माननीय सर्वोच्चय न्यायालय नें पंजाब सरकार द्वारा लाये गए अधिनियम को संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सही नहीं बताया और कहा कि 1981 के समझौते को पंजाब निरस्त नहीं कर सकता इसलिए केंद्र सरकार राजस्थान को उसके हिस्से का शेष जल शीघ्र् दिलवाने हेत् हस्तक्षेप करें।

(इति)

बजट सत्र के प्रथम चरण के दौरान किए गए कार्य के बारे में टिप्पणी

1418 बजे

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज बजट सत्र के प्रथम चरण का आखिरी दिन है। मुझे खुशी है कि इस सत्र के दौरान हमने अच्छे वातावरण में चर्चा की है। मुझे आपका पूरा सहयोग मिला है। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 17 घंटे और 23 मिनट की सार्थक चर्चा हुई है। इसमें 173 माननीय सदस्यों ने देर रात्रि तक बैठकर अपने दायित्वों का निर्वहन किया है।

बजट पर सामान्य चर्चा 16 घंटे 13 मिनट तक चली, जिसमें 170 सदस्यों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। आप सबके सहयोग से इस सत्र में हमारी प्रोडिक्टिविटी लगभग 112 प्रतिशत रही है। मुझे आशा है कि आगे भी आपका इसी तरीके से सहयोग मिलता रहेगा।

सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 10 मार्च, 2025 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1419 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 10 मार्च 2025 / 19 फाल्गुन 1946 (शक) के <u>ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।</u>